बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या - 6/ग्रा0 जला0 नलकूप-1-101/05 -2235, पटना, दिनांकः- 30.5.05,

विषयः- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित कार्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियों के प्रतिनिधायन से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या - 6/वि01-102/2001 - 1169, पटना, दिनांक - 24.09.2001 में आंशिक संशोधन ।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या - 6/वि01-102/2001 - 1169, पटना, दिनांक - 24.09.01 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया था, जिसके उपरांत वर्ष 2001-02 से ही शक्तियों के प्रतिनिधायन के अनुरूप चापाकलों के साधारण/विशेष मरम्मति तथा निर्माण/बंद चापाकलों के स्थान पर नये चापाकलों के निर्माण से संबंधित योजनाओं की राशि पंचायतों को हस्तांतरित की गयी । विभागीय संकल्प संख्या - 6/वि01-102/2001 - 541, पटना, दिनांक - 25.01.03 द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया के अनुरूप प्रति वर्ष हस्तांतरित राशि से पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभिन्न पंचायतों द्वारा दिया जाना है । परन्तु अधिकांश पंचायतों द्वारा चापाकलों का कार्य करके उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी कर हस्तांतरित राशि का डी0सी0 विपत्र समायोजन हेतु महालेखाकार को नहीं भेजा जा सका है । वर्ष 2004-05 में स्वीकृत योजना की राशि हस्तांतरण के क्रम में महालेखाकार/कोषागार द्वारा वित्तीय नियमावली के हवाले से आपत्ति दर्ज की गयी, जिसके फलस्वरूप अधिकांश प्रमण्डलों में राशि हस्तांतरित नहीं की जा सकी है ।

साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी टोलों में पेयजलापूर्ति की वर्त्तमान स्थिति का सर्वेक्षण वर्ष 2004 में कराया गया, जिसके अनुसार राज्य में कुल 1,11,549 अदद टोलों की पहचान की गई है, जिसमें 35,333 अदद पूर्ण आच्छादित 46,814 अदद आंशिक रूप से आच्छादित टोले एवं 29,402 अदद अनाच्छादित टोले संज्ञान में आये हैं । इस सर्वेक्षण की प्रति भारत सरकार को भी उपलब्ध करायी गयी है । दशम् पंचवर्षीय योजना के अंत तक (2007) तक सभी टोलों को आच्छादित करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित है । तदनुसार आंशिक रूप से आच्छादित एवं अनाच्छादित टोलों को 2-3 वर्षों में आच्छादित कराने हेतु एक विशेष अभियान चलाकर चापाकलों के निर्माण एवं पुनर्स्थापन की आवश्यकता हो गयी है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित गति से पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा महसूस की जा रही है, जिसके आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रतिनिधायित शक्तियों संबंधी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संकल्प संख्या - 6/वि01-102/2001 1169, पटना, दिनांक - 24.09.01 की कंडिका - 3 में ग्राम पंचायत का कार्य/शक्तियों में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है -

ल सुसंगत अंश

ग्राम पंचायत का कार्य/शक्ति

क्र0	विषय	कार्य/शक्ति
I.	ग्रामीण जलापूर्ति (चापाकल)	I.(क) चापाकलों के साधारण एवं विशेष मरम्मति का कार्य पंचायत द्वारा किया जाएगा ।

(ख) नये चापाकलों के स्थल चयन एवं निर्माण का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा ।

(ग) केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत बंद चापाकलों के स्थान पर नये चापाकलों के निर्माण के लिए स्थल का चयन एवं योजना का कार्यान्वयन पंचायत द्वारा किया जाएगा ।

संशोधित सुसंगत अंश

३. ग्राम पंचायत का कार्य/शक्ति

क्र०	विषय	कार्य/शक्ति
I.	ग्रामीण जलापूर्ति (चापाकल)	I. उपर्युक्त कंडिका-(क), (ख) एवं (ग) में वर्णित चापाकलों की विशेष मरम्मति, नये चापाकलों का निर्माण एवं बंद चापाकलों के स्थान पर नये चापाकलों के निर्माण के लिए स्थल का चयन का दायित्व पूर्ववत ग्राम पंचायत का होगा । किन्तु, चापाकलों की विशेष मरम्मति, नये चापाकलों के निर्माण एवं बंद चापाकलों के स्थान पर नये चापाकलों के निर्माण हेतु पंचायतों को हस्तांतरित राशि की पूर्ण उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तक अथवा अन्य कोई विशेष परिस्थिति, जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे, में चापाकलों की विशेष मरम्मति, नये चापाकलों के निर्माण एवं बंद चापाकलों के स्थान पर नये चापाकलों के निर्माण की योजनाओं का कार्यान्वयन विभाग द्वारा किया जायगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अरूण कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक-6/ग्रा0 जला0 नलकूप-1-101/05 - दिनांक -

प्रतिलिपिः- 2235 30-5-05

1. सदस्य राजस्व परिषद/वित्त आयुक्त/अपर वित्त आयुक्त/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायत राज/मंत्रिमंडल सचिवालय/आयुक्त एवं सचिव (सभी प्रशासी विभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
2. सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
3. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (नागरिक)/मुख्य अभियंता(याँत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/ प्रा0स0(ग्रामीण)/ संयुक्त सचिव/ संयुक्त सचिव (प्र0को0)/ उप निदेशक(मू0)/ अन्वेषण/कार्यपालक अभियंता(मो0)/ (मो0/मू0)/ विशेष पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार/ परियोजना पदाधिकारी/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
6. अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करावें ।

(अरूण कुमार सिंह)
सचिव